संख्या–1235/ 79–6–17–1112/2011

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त,2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय मद की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/2057/2017–18 दिनांक 26.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यकम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कुल–3639 कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0–42.59 लाख (रू0 बयालिस लाख उनसठ हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–28.39 लाख (अट्ठाईस लाख उनतालिस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–70.98 लाख (रू0 सत्तर लाख अट्ठान्बे हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होनें की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैक खाते से कुक–कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्दांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01– प्रारम्भिक शिक्षा––796–जनजातीय उपयोजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0101– मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60 / रा.40–के.+रा.)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के आदेश संख्या–8 / 2017 / बी–1–1190 / दस–2017–231 / 2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्याः–1235(1) / 79–6–17–1112 / 2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 / वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13 समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14 बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग / कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

शासन-260
MDM

संख्या–1235/ 79–6–17–1112/2011

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त,2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय मद की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/2057/2017–18 दिनांक 26.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कुल–3639 कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0–42.59 लाख (रू0 बयालिस लाख उनसठ हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–28.39 लाख (अट्ठाईस लाख उनतालिस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–70.98 लाख (रू0 सत्तर लाख अट्ठान्बे हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

CFO
सू-अ1-011-01 1
28.8.17
(अब्दुल समद)
निदेशक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ0 प्र0, लखनऊ
Acct
26-8-17

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2017-18: Grant-81, PLAN: IIst Installment

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper in	Funds for Honorarium to cook-cum		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
1	09-Bahraich	40	0.48	0.32	**0.80**
2	11-Balrampur	24	0.29	0.19	**0.48**
3	22-Deoria	1250	15.00	10.00	**25.00**
4	47-Lakhimpur Kheri	199	2.39	1.59	**3.98**
5	48-Lalitpur	85	1.02	0.68	**1.70**
6	66-Shrawasti	28	0.34	0.22	**0.56**
7	69-Sonbhadra	2013	23.08	15.38	**38.46**
Total		**3639**	**42.60**	**28.38**	**70.98**

26.07.17
(जनार्दन प्रसाद)
लेखाकार
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ० प्र०, लखनऊ

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

30/08/17
उप सचिव
उ०प्र० शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018

आवंटन दिनांक-29/08/2017

प्रेषण संख्या:- C-2485-MDMA-2017-18-Dt-31-08-2017-CCH-GR-81-2nd-Inst-Ref-GO-1235-79-6-17-1112-2011-Dt-24-08-2017

आवंटन आदेश संख्या:- 001-002-LEKHA-CCH-GR-81-2017-18

अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2202 - सामान्य शिक्षा(आयोजनेत्तर-मतदेय)

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

796 - जनजातीय उपयोजना

01 -

01 - मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	देवरिया-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 7706000	2500000 7706000
2	लखीमपुर खीरी-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	398000 3228000	398000 3228000
3	बहराइच-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	80000 200000	80000 200000
4	ललितपुर-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	170000 425000	170000 425000
5	सोनभद्र-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3846000 21332000	3846000 21332000
6	बलरामपुर-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	48000 778000	48000 778000
7	श्रावस्ती-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	56000 140000	56000 140000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7098000 33809000	7098000 33809000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्तर लाख अठानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ अड़तीस लाख नौ हजार

Amit Kumar

(अमित कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी